

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

जैसीन अधिकारी - कृष्णपाल सिंह चौहान, आर ए एस.

दस्ता संख्या - 95/19 मांण्डल

श्री भगवती लाल जी श्री हजारी तेजी निवासी जिन्द्रास तहसील [वगैरा]

-प्रार्थी

बनाम

श्रीमती गजरी लाल गोजा गुर्जर निवासी-जिन्द्रास तहसील [वगैरा]
(सर्वोच्च अखण्ड सलिंग)

-विपक्षीयगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 24-5-19

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जिन्द्रास पटवार हलका जिन्द्रास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 272, 273, 275 कुल कित 0.3 रकबा 0.97 हेक्टर की घा बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.5.19 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का हेरा-फेरी होने का अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आदेश पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम जिन्द्रास पटवार हलका जिन्द्रास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 272, 273, 275 कुल कित 0.3 रकबा 0.97 हेक्टर की घा बिस्वा भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक भगवानपुर को 300/- रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावे। फरसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावे।

प्रतिलिपि - तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा